


राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

निवेश ऋण विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फैक्स : +91-22-2653 0090
ई-मेल : icd@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org



**National Bank for Agriculture
and Rural Development**

Investment Credit Department

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090
E-mail : icd@nabard.org • Website : www.nabard.org

Ref. No.NB.GSS.ICD/ /ACABC-4/2012-13

23 October 2012

The Chairman / Managing Director
All Scheduled Commercial Banks
All RRBs / SCARDBs / SCBs/
Scheduled Urban Co-op Banks

Dear Sir

**Agriclinics and Agribusiness Centres (ACABC) - National Review
Workshop on ACABC held on 7 August 2012- Recommendations**

Please refer to our circular No.145 /ICD - 35 /2011 dated 2 August 2011 forwarding therewith detailed guidelines on the ACABC scheme. The National Review Workshop on Agri Clinics and Agri Business Centres (ACABC) which was held on 7th August 2012, under the Chairmanship of Shri Sanjeev Gupta, IAS, Joint Secretary(Extension), MoA. Govt. has made following recommendations. We request you to take appropriate action.

- (i) The financing Bank may communicate decision on the loan application to the candidate within 15 days from the date of receipt of loan application.
- (ii) Banks, may forward copy of the correspondence with NABARD to the concerned Nodal Training Institute (contact addresses of the NTIs are available at www.agriclinics.net) for better follow-up.
- (iii) Representatives of NTI may be invited to attend SLBC/DCC meetings as a special invitee.
- (iv) Banks may identify a nodal officer for successful implementation of the scheme. The name and contact address of the nodal officer may be forwarded to MANAGE for placing the same in their website.

Yours faithfully

J G Menon


(J G Menon)
Chief General Manager

Endt. No.NB.GSS.ICD/ 2939 /ACABC-4/2012-13 of date

Copy forwarded for information to

(i) Shri.R.K Tripathy,Director (Extension Management),Ministry of Agriculture,Govt.of India
Krishi Vistar Bhavan,Pusa, New Delhi

✓ (ii) The Director (Agricultural Extension),Centre for Agri Entrepreneurship Development
(CAD),National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Rajendranagar,
Hyderabad 500 030


(B B Sethi)
Dy General Manager

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

निवेश ऋण विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फैक्स : +91-22-2653 0090
ई-मेल : icd@nabard.org • वेबसाइट : www.nabard.org



**National Bank for Agriculture
and Rural Development**

Investment Credit Department

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090
E-mail : icd@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं.जीएसएस.आईसीडी/ 2938 / एसीएबीसी-4/ 2012-13

23 अक्टूबर 2012

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

सभी क्षेत्रीय बैंक/ रासकृयावि बैंक/ रास बैंक/अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

एग्रि क्लिनिक और एग्रि बिजनेस सेंटर(एसीएबीसी) -दिनांक 7 अगस्त 2012

को एसीएबीसी पर आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला - सिफारिशें

कृपया दिनांक 2 अगस्त 2012 के हमारे परिपत्र सं.145/ आईसीडी-35/ 2011 का संदर्भ लें जिसके साथ एसीएबीसी योजना पर विस्तृत दिशानिर्देश भेजे गए थे. दिनांक 7 अगस्त 2012 को श्री संजीव गुप्ता, आईएस, संयुक्त सचिव (एक्स्टेंशन), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एग्रि क्लिनिक और एग्रि बिजनेस सेंटर(एसीएबीसी) पर आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला में निम्नलिखित सिफारिशों की गई हैं. अनुरोध है कि कृपया इन पर समुचित कार्रवाई की जाए.

- ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होने की दिनांक के 15 दिन के भीतर वित्त पोषक बैंक ऋण आवेदन पत्र पर अपना निर्णय आवेदनकर्ता को प्रेषित करे.
- बेहतर फालोअप हेतु बैंक संबंधित नोडल प्रशिक्षण संस्थान को नाबार्ड के साथ हुए पत्राचार की प्रति भेजें. (नोडल प्रशिक्षण संस्थानों से संपर्क हेतु पते www.agriclinics.net पर उपलब्ध हैं).
- नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रिती के रूप में एसएलबीसी / डीसीसी की बैठकों में आमंत्रित किया जाए.
- योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु बैंक एक नोडल अधिकारी की पहचान करें. नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क हेतु पता मैनेज (MANAGE) को उनकी वेबसाइट में रखने हेतु प्रेषित किया जाए.

भवदीय

३/-


(जे जी मेनन)

मुख्य महाप्रबंधक

उक्त दिनांक का पृष्ठांकन सं. जीएसएस.आईसीडी/2939 / एसीएबीसी-4/ 2012-13

प्रति सूचना हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :

- i. श्री आर के त्रिपाठी, निदेशक (एक्सटेंशन मैनेजमेंट), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि विस्तार भवन, पूसा, नई दिल्ली.
- ✓ ii. निदेशक (एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन), सेंटर फॉर एग्री आन्ट्रप्रनर्शिप डेवलेपमेंट (सीएडी), नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट (मैनेज), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद - 500030.


(बी बी सेठी)

उप महाप्रबंधक